APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......शान्ति बाई......बनाम......अशोक चन्द्र आदि......

किस्म मुकदमा......भरण पोषण आदि......नं. ......35......सन्......2026......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/3/26	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी व धारा 11 जाप्ता दीवानी वास्ते पेश हुई। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी व धारा 11 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये मकान से रिलीफ के सम्बंध में एक अन्य वाद दीवानी न्यायलय सिविल न्यायाधीश क्रम 5 उत्तर कोटा के यहॉ विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीया ने अपने जवाब दावा प्रस्तुत कर रखा है जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा विवादित बिन्दु तय कर के साक्ष्य वादी हेतु दिनांक नियत कर रखी है उक्त वाद की प्रकरण संख्या 361/2022 है जो इसी विषय वस्तु तथा इन्ही पक्षकरों के मध्य विचाराधीन है एक ही विवाद के सम्बंध में दो प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में पेश नही किये जा सकते तथा उपरोक्त विवादित बिन्दु दीवानी न्यायालय द्वारा तय कर रखे है इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा से सम्बन्धित है इसीलए इसी स्टेज पर प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को उपरोक्त कारणों से इसी स्टेज पर खारिज फरमाये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जिस प्रकार आलेखित किये गये है बलपूर्वक अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है कि एक दीवानी वाद सिविल न्यायाधीश क्रम 5 उत्तर कोटा के यहां लम्बित है तथा एक ही विवाद के संबंध में दो प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में पेश नही किये जा सकते है। उक्त तथ्य सिविल वाद एवं प्रकरण से संबंधित है जबकि प्रस्तुत प्रकरण सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो एक प्रार्थना पत्र है ना कि वाद पत्र है तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल नेचर का नही होने के कारण सीपीसी के प्रावधान प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर लागू नही होते है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र उक्त प्रकरण को डिले करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सीपीसी के प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो मेन्टेनेबल नही है तथा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जोन योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी व धारा 11 जाप्ता दीवानी वास्ते नियत की गई।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थीया की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में अंकित को दोहराया। अप्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीया के ओर से पूर्व में भी प्रार्थना पत्र धारा 5 माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकार के विरूद्ध पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2022 को खारिज फरमाया दिया गया। प्रार्थीया द्वारा उन्ही तथ्यों के आधार पर पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेज नकल ऑर्डर शीट मि0नं0 6/2022 कान्तिबाई बनाम रमेशचंद, नकल निर्णय दिनांक 18.10.2022, नकल प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं नकल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उभयपक्ष की ओर से बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि प्रार्थना पत्र में चाहे गये मकान से रिलीफ के सम्बंध में एक अन्य वाद दीवानी न्यायलय सिविल न्यायाधीश कम 5 उत्तर कोटा के यहॉ विचाराधीन है। एक ही विवाद के सम्बंध में दो प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में पेश नही किये जा सकते तथा उपरोक्त विवादित बिन्दु दीवानी न्यायालय द्वारा तय कर रखे है इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा से सम्बन्धित है इसीलए इसी स्टेज पर प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीया की ओर से उपरोक्त मकान से रिलीफ के सम्बंध में एक अन्य वाद दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है एवं उसी मकान से सम्बंध में हस्तगत प्रकरण भी प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत किया हुआ है। एक ही विवाद के सम्बंध में दो प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में जैरकार है।

संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र धारा 5 माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकार के विरूद्ध पेश किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2022 को खारिज फरमाया दिया गया। प्रार्थीया द्वारा उन्ही तथ्यों के आधार पर पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचनानुसार हम अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी व धारा 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित पाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी व धारा 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा